

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 248/363/वित्त/वि/चार/2001
प्रति,

रायपुर, दिनांक 27.11.2001

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय:- यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.ई.टी. वेतनमानों की अनुशंसाओं के फलस्वरूप दिनांक 1.1.96 एवं इसके पश्चात् सेवानिवृत्त/भृत्य होने पर पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान से संबंधित एक प्रकरण में वित्त विभाग से मार्ग दर्शन चाहा गया है कि ऐसे पद जिनके लिए 1.1.96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में तस्थानी वेतनमान नहीं घोषित किया गया है, से दिनांक 1.1.96 या इसके पश्चात् सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का पेंशन का निर्धारण किस प्रकार किया जाय ।

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ए.आई.सी.टी.ई. एवं यू.जी.सी. वेतनमान से संबंधित ऐसे प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक बी/25/7/98/पी.डब्ल्यू सी/चार/ भाग-1 दिनांक 14-7-1998 के पैरा-7 के अनुसार पेंशन/उपादान विनियमित किया जाय । पुनरीक्षित वेतनमान घोषित होने पर शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर पुनः आवश्यक पुनरीक्षण कर दिया जाय ।




(आर.एस. विश्वकर्मा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन. वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

- (1) राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
 - (2) सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर ।
 - (3) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर ।
 - (4) सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
 - (5) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
 - (6) मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय, रायपुर ।
 - (7) निज सचिव/निज सहायक ----- मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
 - (8) महालेखाकार छत्तीसगढ़, फाफाडीह, बिलासपुर रोड, रायपुर ।
 - (9) आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
 - (10) संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
 - (11) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
 - (12) समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
 - (13) समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(एस.के. चक्रवर्ती)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग